(5)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०—स्था०1/आ०2—04/2015/ 01 पटना, दिनांक: 01 01.18

कार्यालय आदेश

श्री नदकिशोर जायसवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बखरी प्रखंड, जिला—बेगुसराय संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, महुआ प्रखंड, वैशाली के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 225304 दिनांक 24.03.2015 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्राक 131/आ०प्र०दिनांक 02.02.2015 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०—111 सहपठित ज्ञापांक 687 दिनांक 05.06.2015 द्वारा श्री नंद किशोर जायसवाल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) बेगूसराय को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगूसराय को नियुक्त किया गया।

2. सचालन पदाधिकारी—सह—अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)बेगूसराय के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपने पत्रांक 18/वि०जॉच, दिनांक 26.05.2017 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन मे संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि "अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय सूखा के कारण सर्वे का कार्य किया जाना था उस समय पदास्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया।

जिस समय आवंटन प्राप्त हुआ उस समय श्री नंद किशोर जायसवाल सर्वे का कार्य नहीं करा सकते थे इसलिए प्राप्त आवंटन का भुगतान लाभुकों के बीच करना संभव नहीं था। इसलिए मजबुरन प्राप्त आवंटन को बिना खर्च किये श्री नद किशोर जायसवाल के द्वारा सरकार को वापस करना पडा इसके लिए श्री नद किशोर जायसवाल दोषी नहीं है।

इस प्रकार इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।"

3. सचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्राक 1772 दिनांक 09.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक 1469/राजस्व, दिनाक 18.12 2017 के द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है जो निम्नवत है :—

" संचालन पदाधिकारी का मतव्य है कि अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो एव साक्ष्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय सूखा के कारण सर्वे का कार्य किया जाना था एवं पूरी प्रक्रिया कर भुगतान हेतु अभिलेख तैयार किया जाना था उस समय पदस्थापित पदाधिकारियों एव कर्मचारियों के द्वारा यह कार्य नही

02798-भा०1 (22 दिसम्बर 2017) नद कुशोर जायसवाल

किया गया। जिस समय आवटन प्राप्त हुआ उस समय श्री नंद किशोर जायसवाल सर्वे का कार्य नहीं करा सकते थे इसलिए प्राप्त आवंटन का भुगतान लाभुकों के बीच करना संभव नही था। इसलिए मजबूरन प्राप्त आवंटन को बिना खर्च किये श्री नंद किशोर जायसवाल के द्वारा सरकार को वापस करना पडा। इसके लिए श्री नद किशोर जायसवाल को दोषी मानना उचित नही होगा ।

वित्तीय वर्ष 2009—10 (दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010) मे सूखा पडा। उस समय सूखा का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण आवंटित राशि बिना व्यय वापस हो गई। आरोपी श्री जायसवाल, बखरी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में दिनाक 30.08.2011 को योगदान किए । आपेक्षित आवंटन उन्हें बाद में प्राप्त हुआ ।जिसे बिना जॉच के वितरित करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में श्री जायसवाल के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होने संबंधित संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से मै सहमत हूँ।"

अत. संचालन पदाधिकारी—सह—अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बेगूसराय द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन एवं उस जॉच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री नंद किशोर जायसवाल पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' मे लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/—
निदेशक

ज्ञापांक :— स्था०1/आ02—04/2015 01 पटना, दिनांक 01.01.18
प्रतिलिपि :—सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2 जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/वैशाली।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बेगूसराय/वैशाली।
4. प्रखड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली।
5 श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6 श्री नद किशोर जायसवाल, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, महुआ प्रखंड, वैशाली

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.1.18
निदेशक

1532